

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अन् अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• लादू पुत्र रामलाल जाति जाट आयु लगग 68 साल निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज ।
-वादीगण

बनाम

• रामदीन पुत्र श्रवण जाति जाट, तालोड उग्र लगग 38 साल निवासी ग्राम तेजपुरिया तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य
-प्रतिवादीगण ।




किस्म मुकदमा- धारा 188 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 11 / 2023

ऑनलाइन नंबर 2023 / 13

वकील वादी:- अशोक शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.02.2023	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधि. 1955 के तहत हमारे समक्ष पेश किया। प्रकरण पर वकील वादी को सुना गया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगण की तलबी किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.03.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर) </p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए</p>
10/3/2023	<p>पत्रावली पेश हुई आज वाद... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक... को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अंराई </p>	
06/4/2023	<p>पत्रावली पेश हुई वकील श्री उपभिनव / प्रतिवादीगण 01 व 02 के तामिलमुडा समुन प्राप्त जे वागभिनल अली मोपले को उपभिनव नही है पत्रावली दिनांक 13/04/2023 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर) </p>	

3 तारीख
म जो इस हफ्ते
मिशन में जारी

कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्तु वादी
साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 5/8/25 को चले।

6.9.25

पत्रावली चले। वरील परमाणु 3 वरु पत्रावली
वास्तु साक्ष्य हेतु दिनांक 3.9.25 को चले।

3.9.25

पत्रावली चले। वरील परमाणु अनु। - पत्रावली
समय में क्रम-क्रम कर तीन बार का कार्य लगावा
जाए। किन्तु वादी एवं वादी 3 प्रतिनिधि अनुपस्थित
रहे। अतः पत्रावली वास्तु क्रम हावली एवं कडेप
पैरकी श्वारीय मिला जाता है। अतः पत्रावली
फैलल घुलाए होकर नम्बर ले रप है।